"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 —— अग्रहायण 19, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21–01/2018/नौ/55–4.— छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रं 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 कहलायेंगे ।

(दो) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत होंगे।

(तीन) यह नियम अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालय में लागू होंगे।

2. परिभाषायें – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''परीक्षा एजेंसी'' अथवा ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी (अभिकरण),

(ख) ''वास्तविक निवासी'' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।

(ग) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमीलेयर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी।

(घ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है महिला संवर्ग या निःशक्तजन संवर्ग।

(ड.) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय ।

(च) ''परिषद'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली।

(छ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि।

(ज) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन।

(झ) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन।

(ञ) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।

(ट) सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन सेवारत ऐसे कर्मचारी जिन्होने परीक्षा वर्ष की 31 जनवरी को नियमित सेवा अथवा तदर्थ सेवा अथवा संविदा सेवा के तीन वर्ष पूर्ण कर लिया हो।

(ठ) ''बिना संवर्ग'' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो नियम–2 के उप–नियम (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता हो।

(ड) ''नि:शक्तजन'' से अभिप्रेत है ऐसा नि:शक्तजन/दिव्यांगजन जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं भारतीय चिकित्सा परिषद के तत्समय लागू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन रेगुलेशन) के अनुसार दिव्यांगजन/निःशक्तजन के रूप में आरक्षण का पात्र हो।

(ढ) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।

(त) "अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने इन नियमों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो।

(थ) "दस्तावेज'' से अभिप्रेत है मूल दस्तावेज।

(द) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(ध) ''अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)'' से अभिप्रेत है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/ अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया हो।

(न) ''अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश'' से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीयों के प्रवेश हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत सीटें।

(प) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29/05/2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र धारित करता हो।

3. प्रवेश हेतु पात्रता :–

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त हो या ऐसा अभ्यर्थी, जिन्होंने विदेश से चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, 2002 परीक्षा विदेश स्नातक परीक्षा में पात्र हो।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रवेश वर्ष के दिनांक तक इंटर्नशीप पूर्ण की हो।

(घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हो।

(ड़) प्रवेश परीक्षा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हो।

4. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता की अतिरिक्त शर्तें :–

(क) अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो अथवा अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले अप्रवासी भारतीय द्वारा प्रायोजित किया जाये।
स्पष्टीकरण :– अप्रवासी भारतीय प्रायोजक अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता। इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाणपत्र जो कि तहसीलदार अथवा तहसीलदार से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी को स्वयं का अथवा अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का वर्तमान से लेकर कम से कम 181 दिन पूर्व तक का विदेश निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ग) अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी को स्वयं का अथवा अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का एन.आर. ई. बैक खाता या विवरण प्रस्तुत करना होगा।

5. प्रवेश हेतु अपात्रता :–

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो या अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी परित्याग/निष्कासन की तिथि से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक तथा डिप्लोमा हेतु आगामी 02 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठयक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हे उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठयक्रम के पश्चात् पाठयक्रम पूर्ण करने की दिनांक से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक तथा डिप्लोमा हेतु आगामी 02 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे से राज्य के स्नातकोत्तर पाठयक्रम मे प्रवेश लिया है, वे राज्य कोटे की सीटों हेतु अपात्र होंगे।

(चार) छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत एम.बी.बी.एस. पाठयक्रम पूर्ण करने के पश्चात अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र में उल्लेखित अवधि पूर्ण होने का छत्तीसगढ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

6. सीटों का आरक्षण :

(एक) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये 30%, विशेष पिछडी अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु 02%, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये 12% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैर–क्रीमीलेयर श्रेणी के लिये 14% आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) प्रत्येक श्रेणी में महिला संवर्ग हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण होगा।

(तीन) प्रत्येक श्रेणी में निःशक्तजन संवर्ग हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा मंडल द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अतिरिक्त सीटे सृजित की जाती है तो कुल सीटों में संस्थावार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण होगा।

(पांच) प्रवेश वर्ष में उपलब्ध सीटों को उपरोक्तानुसार आरक्षण के आधार पर महाविद्यालय एवं विषयवार आबंटित किया जायेगा।

7. आरक्षित श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों का अन्य् श्रेणी में परिवर्तन :–

(एक) विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

(दो) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जायेगा।

8. आरक्षित श्रेणी के संवर्ग की रिक्त सीटों का परिवर्तन :– आरक्षित संवर्ग की रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित किया जायेगा।

9. सेवारत अभ्यर्थी को निम्नानुसार बोनस अंक दिये जायेंगे :–

(क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक होगा।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 03 प्रतिशत अंक होगा।

(ग) प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के अधिकतम 30 प्रतिशत अंक होंगे।

(घ) किसी वर्ष की सेवा उपरोक्त (क) एवं (ख) में चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से पूर्ण होने की दशा में उस वर्ष को सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा का वर्ष मानकर बोनस अंक की गणना की जायेगी।

10. प्रावीण्य सूची :– प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में नियम (9) के अन्तर्गत प्राप्त बोनस अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी।

11. प्रवेश में वरियता :–

(क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त की हो, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।

(ख) उपरोक्त उप–नियम (क) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो, इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री की हो, परन्तु वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो।

(ग) उपरोक्त उप–नियम (क) एवं (ख) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो, इन रिक्त सीटों पर, शेष सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा।

13. शुल्क :– नियम (12) के तहत् काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो।

14. प्रवेश :–

(क) काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को यह विकल्प होगा कि वे उन्हें आबंटित सीट को स्वीकार करे अथवा आबंटित सीट को अस्वीकार कर, काउंसिलिंग के अगले चरण में सम्मिलित हो।

(ख) उपरोक्त उप–नियम (क) के अंतर्गत यदि अभ्यर्थी द्वारा उसे आबंटित सीट स्वीकार की जाती है तो, अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो, प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

(ग) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों की छानबीन (स्क्रूटनी) करानी होगी। छानबीन नहीं कराने की स्थिति अथवा छानबीन में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर, अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

15. छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता : एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सीटों के अन्तर्गत राज्य कोटे से अथवा अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, दो वर्षों की कालावधि तक छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रू. 50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रू. 40 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

16. मिथ्या जानकारी देना अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करना :– यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया है, तो संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश रद्द किया जा सकेगा एवं उसके विरूद्ध मिथ्या जानकारी देने अथवा मिथ्या दस्तावेज देने संबंधित विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

17. **प्रावीण्य सूची की समाप्ति एवं रिक्त सीटों का कालातीत होना** : केन्द्र शासन या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रवेश हेतु समय–सारणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त, प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें कालातीत हो जायेगी।

18. प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का निर्णय बंधनकारी होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा संबंधी पूर्व के समस्त नियम, एतद्द्वारा निरसित किये जाते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.

(7)

छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विवरणिका 2021

(General Information of Online application & counselling procedure)

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा स्नातकोत्तर की कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत सीट संख्या संस्थावार अखिल भारतीय कोटा हेतु संस्थावार संस्था द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) हेतु नियमानुसार अतिरिक्त सीटे वृद्धि की गई है, उक्त संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु कुल प्रवेश सीटों की संख्या 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No. 689 of 2017 के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ 21–10/2017/नौ/55–4 के अनुसार सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश में उपलब्ध कराया जाता है।

1.3 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के आरक्षण उपरान्त शेष सीटों पर छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2021 में उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार एवं संवर्गवार छत्तीसगढ़ आरक्षण दिया जाता है।

1.4 केन्द्र शासन/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित समय–सारणी अनुसार चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रक्रिया की जाती है।

2.1 काउंसिलिंग संबंधित सभी सूचनाएँ वेबसाईट www.cgdme.co.in में प्रदर्शित की जायेंगी। अतः सभी संबंधित उक्त वेबसाईट का नियमित अवलोकन करें।

2.2 सभी आवेदक चिकित्सा स्नातकोत्तर नियम 2021 को पढ़कर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो।

2.3 आवेदन एवं शुल्क :– प्रवेश वर्ष की NEET PG में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलंग में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ऑनलाईन आवेदन, आवेदन शुल्क सहित उपलब्ध होगा। जिस हेतु ऑनलाईन आवेदन शुल्क भुगतान निम्न तालिकानुसार :–

क्रमांक	विवरण	आवेदन शुल्क (रूपये)
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	रू. 2000/– (रूपये दो हजार)
2.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	
3.	अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) सीट हेतु	

ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यद्यपि ऑनलाईन आवेदन पूर्ण किये हुये आवेदकों को संस्था चयन का अवसर द्वितीय काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड के पूर्व उपलब्ध रहेगा।

2.4 अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क **रू. 2000/– (रूपये दो हजार)** का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा। प्रथम बार ऑनलाईन आवेदन में संस्था विषय का अंतिमिकरण (Save & Finish) हो जाने पर, आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क (Edit Fee) रूपये **2000/– (रूपये दो हजार)** ऑनलाईन जमा कर संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा। किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टीयॉ (एन्ट्री) जो कि केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा

(9)

परिणाम डाटा से सीधे आती है, उन प्रविष्टीयों सहित आवेदक का स्वयं प्रविष्ट किया गया मोबाईल नम्बर, ई–मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे तथा प्रावीण्य सूची जारी होने के पश्चात् द्वितीय काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड में संस्था चयन के उपलब्ध अवसर में अथवा संशोधन शुल्क जमा कर, केवल संस्था चयन के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन कर सकेंगे अन्य किसी प्रविष्टीयों में **कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा** ।

2.5 भारत के राजपत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 05 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प. –18(1)/2018–मेड./100818 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस शासकीय संस्था की सीटों हेतु रू0 पच्चीस हजार (आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 बारह हजार पांच सौ) एवं निजी संस्था की सीटों हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रू0 दो लाख लागू होगी तथा जो द्वितीय आबंटन पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर नियमानुसार राजसात कर ली जायेगी। (नोट : केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर यथावत लागू होगी)

2.6 बिन्दु क्रमांक 2.3 के अनुसार आवेदकों में सेवारत अभ्यर्थी के बोनस अंक को जोड़कर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा प्रावीण्य सूची एवं आवेदकों के संस्था चयन प्राथमिकता क्रम अनुरूप प्रावीण्यतानुसार ऑनलाईन आबंटन दिया जायेगा। (देखे : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 10)

2.7 आबंटन में आबंटित अभ्यर्थी या तो, आबंटन स्वीकार कर (अर्थात जिस अभ्यर्थी ने अपना आबंटन पत्र जनरेट कर लिया हो) प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। अन्यथा आबंटन पत्र जनरेट किये बिना आबंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेने के विकल्प को चयन कर आगामी काउंसिलिंग चरण में सम्मिलित होगा। यदि आबंटित अभ्यर्थी आबंटन पत्र जनरेट कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो, ऐसा अभ्यर्थी आगामी काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जायेगा। (देखे : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 14)

2.8 द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन एवं मॉप–अप राउण्ड में पात्र अभ्यर्थियों को संस्था चयन का अवसर दिया जायेगा। जिस हेतु अभ्यर्थी नियमित राज्य की ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट का अवलोकन करे, ताकि निर्धारित समय–सीमा में अपने संस्था चयन कर सकेंगे तथा संशोधन शुल्क (Edit Fee) रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कर, अंतिम तिथि पूर्व संस्था चयन प्राथमिकता क्रम में संशोधन भी कर सकेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात् यदि कोई आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो क्रमांक 2.5 के अनुसार जमा की गई राशि राजसात कर ली जायेगी। जिसकी सूचना वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी।

2.9 उपरोक्तानुसार यदि मॉप–अप राउण्ड ऑनलाईन प्रक्रिया की जाती है तो जारी सूचना अनुसार स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया आवेदक स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण करेंगे अथवा मॉप–अप राउण्ड ऑफलाईन (प्रत्यक्ष प्रक्रिया) से किया जाता है तो, उक्त प्रक्रिया में आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी तरह का प्राधिकार पत्र मान्य नहीं किया जा सकेगा। काउंसिलिंग के किसी भी चरण में उक्त चरण की अंतिम तिथि तक आबंटन पत्र जारी कर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी आगामी काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जायेंगे। (देखे : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 14)

2.10 यदि किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त होने पर प्रथमतः उसे उसी मूल श्रेणी की बिना संवर्ग की सीटों में परिवर्तित किया जायेगा। तद्–उपरान्त यदि श्रेणी में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र 2012 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा। (देखे : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 7 एवं 8)

2.11 संवीक्षा में आवश्यक दस्तावेज सूची :– संवीक्षा (स्क्रूटनी) में केवल मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं जिस अभ्यर्थी को किसी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, वह उक्त दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करना, उसकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी स्क्रूटनी अधिकारी नियम एवं दस्तावेजों के आधार पर, वांछित दस्तावेजों की कमी को पूर्ण नहीं किया जा सकता तथा स्क्रूटनी समिति को वांछित दस्तावेज के अभाव में, पात्र करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। (स्पष्टीकरण : जैसे किसी अभ्यर्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है तथा उनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी है और अभ्यर्थी ने कक्षा 01 से 12वीं तक

छत्तीसगढ़ राज्य में ही अध्ययन किया है, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से वास्तविक निवासी हेतु पात्र नहीं किया जा सकता है। अपितु अभ्यर्थी को वांछित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवासी का प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।)

i). नीट प्रवेश पत्र (NEET Admit Card)

ii). नीट स्कोर कार्ड (NEET Score Card)

iii). सभी एमबीबीएस *(प्रथम, द्वितीय, तृतीय समस्त भाग)* की अंक सूची इंटर्नशीप सहित।

अथवा

विश्वविद्यालय से जारी की गई एमबीबीएस डिग्री।

iv). किसी भी राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन। यदि छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन नहीं है तो, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।

v) छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

vi). छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजाति श्रेणी/अनुसूचित जाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी के लाभ हेतु *''स्थायी जाति प्रमाण पत्र''*। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण वित्तीय वर्ष सहित विगत तीन वर्ष का आय प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **(छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 19.09.2013 पेज क्रमांक 09 बिन्दु 6 एवं क्रमांक एफ 13–6/2013/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 15.11.2017)** वर्तमान में वार्षिक आय आठ लाख से कम गैरक्रीमिलेयर में प्रभावी है। यह राशि लगातार तीन वर्षों में कभी भी 08 लाख से कम आय होने पर अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी में पात्र होगा **(आय सीमा केन्द्र शासन / राज्य शासन के द्वारा जारी समय–समय पर निर्देश एवं आदेश लागू होंगे)।**

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हेगा। इसे प्रवेश की निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

vii). दिव्यांगजन अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

viii). आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ix). छत्तीसगढ़ राज्य का सेवारत अभ्यर्थी हेतु वांछित सेवा प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

x). विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र न होने पर तत्संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें । (यदि प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेशार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो, इस कृत्य की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी)

xi). मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी / चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा जारी)

xii). पाठ्यक्रम उपरान्त राज्य शासन के अधीन सेवा बाबत् बंध पत्र।

xiii). पाठ्यक्रम की सीट त्यागने पर लागू बॉण्ड राशि बाबत् बंध पत्र।

xiv). सभी दस्तावेजों का दो फोटो कॉपी सेट।

xv). आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/मतदाता परिचय पत्र)

xvi). पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो 03 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो।

xvii). लागू शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क।

xviii). एन0आर0आई0संबंधित दस्तावेज हेतु छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 का अवलोकन करें।

नोटः– स्क्रूटनी की प्रक्रिया में स्क्रूटनी अधिकारी आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी करते है किसी नियम के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता तय नहीं करते है। अपनी पात्रता हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है।

2.12 सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ राज्य की छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा अंतर्गत छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.13 महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यंर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।

2.14 छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में प्रति वर्ष 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं संस्था प्रमुख की अनुमति से कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप हेतु अधिकतम 10 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष के विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

टीप :–

1. यह अवकाश नियम सेवारत अभ्यर्थियों के लिये भी लागू होंगे।
2. अवकाश की निर्धारित सीमा (15 दिवस) से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थित दिवस अवैतनिक अवकाश के खाते में विकलनीय होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस प्रति शैक्षणिक सत्र होगा।
3. प्रसूति अवकाश :– छत्तीसगढ़ शासन के लागू नियमानुसार प्रसूति अवकाश अवधि हेतु पात्र होंगे। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि पूर्व में प्रसूति अवकाश में स्टायपण्ड का भुगतान किया जा चुका तो इस अवधि के लिये कोई स्टायपण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

2.15 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते है तो संस्था प्रमुख अधिष्ठाता द्वारा पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों को नियमानुसार बंध पत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

2.16 पाठयक्रम पूर्ण करने उपरान्त विभाग में वापसी – पीजी डिग्री पाठयक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी0जी0 डिप्लोमा पाठयक्रम के लिये 24 माह है पाठयक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले सेवारत अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हो अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढाया नहीं जाएगा ।

[signature] 9.12.21

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

(12)

परिशिष्ट– एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

क्रमांक .... दिनांक.......................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री...आत्मज / आत्मजा / पत्नी.......................... ....निवासी...तहसील... जिला ....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तो में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्ये शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है । उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीशसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्य-प्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीससगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्त्तीर्ण की हों, अर्थात :–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीयट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

Vcshmlle

(13)

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्तर के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ के वास्तवित निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षिर

पदनाम एवं सील

परिशिष्ट – दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण–पत्र

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.–0771–2234451, E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक / /संचिशि / रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., पिता– श्री ...., उम्र–.................वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक................के साथ संलग्न जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक................, दिनांक....................के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी स्थाई शारीरिक निःशक्तता ....पाई गई। उनकी कुल स्थाई निःशक्तता .... प्रतिशत है ।

पहचान का निशान– ....

(भारत का राजपत्र असाधारण असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 13 मई, 2019 सं.भा.आ.प.–34(41) /2019–मेड/112862 वर्तमान में लागू समय–समय पर जारी संशोधन भी मान्य होंगे।)

आवेदक मेडिकल / डेंटल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु .... पाया गया।

(अध्यक्ष)	**(सदस्य)**	**(सदस्य)**
राज्य मेडिकल बोर्ड	राज्य मेडिकल बोर्ड	राज्य मेडिकल बोर्ड

(15)

परिशिष्ट – तीन

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "अ"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता / पति .... ने दिनांक ....से दिनांक ....की अवधि में कुल ....वर्ष...................माह तक चिकित्सक / शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय .... (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र) में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक ....है को, प्राप्तांक का लागू बोनस ....प्रतिशत % के, बोनस अंक .... (शब्दों में)........................ .... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत कर्मचारी जिन्हों ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ / संविदा / नियमित कें 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट – चार

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "ब"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता / पति..ने दिनांक..से दिनांक..की अवधि में कुल ....वर्ष..............
..........माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

(क) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(ख) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(ग) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(घ) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक ....है को, प्राप्तांक का लागू बोनस ....प्रतिशत % के, बोनस अंक .... (शब्दों में)..........................
.... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होने **संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें** के अधीन सेवारत कर्मचारी जिन्हों ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ / संविदा / नियमित कें 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट– पांच

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य–शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.. निवासी.................................. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष .... में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ....में शैक्षणिक सत्र .... में .... सीट आबंटित की गई है ।

3. यह कि वर्ष .... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक...................रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका .... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियॉ दी गई हैं, जिसे मैंने भली–भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

4. मैं एतद् द्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री............................... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...निवासी...............................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए.......................... ....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।

8. एमडी / एमएस / डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धापत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : –   हस्ताक्षर

1................................हस्ताक्षर   आवेदक / निष्पादनकर्ता

2................................ हस्तासक्षर

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

परिशिष्ट – छै

(सभी प्रवेशित अभ्यिर्थियों हेतु)

(250/– के नानज्युोडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.....................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.............................. निवासी........................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यीर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक ....: ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम – ....'' को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्यप/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्नत शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–

   (क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है तो रू. 25 लाख (पच्चीस लाख रू.) तथा तीन/दो वर्षो तक प्रदाय किये जाने वाले स्टाायपण्ड़ की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

   (घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : – हस्ताक्षर

1................................हस्तााक्षर आवेदक/ निष्पादनकर्ता

2................................ हस्तासक्षर

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

परिशिष्ट – सात

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट – आठ

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत् प्रमाण पत्र *(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में)* प्रस्तुत करना हेगा।

परिशिष्ट – नौ

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में **EWS** प्रमाण पत्र।

Neshwllee